



प्रारूप - एक
(नियम 11 देखिय)

कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उच्च प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार
अधिकनियम 2013 की धार 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत


नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा
आषयित है अर्थात :-


| जिला | तहसील | ग्राम/नगर | क्षेत्रफल (ह.मै.) | लोक प्रयोजन का विवरण |
|--------|----------|-----------|-------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| रायगढ़ | धरमजयगढ़ | महाराजगंज | 0.045 हे. | लोक निर्माण विभाग द्वारा सेतु निर्माण |

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन
हेतु जन सुनवाई दिनांक 25/09 /2021 को समय 11:00 बजे से 02:00 बजे तक स्थान
ग्राम पंचायत ~~महाराजगंज~~ पर नियत की गई है।

प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

- (1) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त - महाराजगंज से भुण्डीबहरी पहुच
मार्ग हेतु पुल निर्माण कार्य बाबत्।
 - (2) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या - 01 परिवार
 - (3) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों का संख्या - निरंक
 - (4) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य
परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या - निरंक
 - (5) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा - निरंक
अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या -
 - (6) क्या प्रभावित अर्जन न्यूनतम है - हाँ
 - (7) क्या संभव दिकल्पो और इसकी साध्यता
पर विचार कर लिया गया है - हाँ
 - (8) परियोजना कुल लागत - 7,45,90,000/-
 - (9) परियोजना से होने वाला लाभ - जनसामान्य के अवगमन की
सुविधा हेतु
 - (10) प्रस्तावित समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए
उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय- 5,00,000 /-
 - (11) परियोजना द्वारा प्रभावित अन्य व्यय घटावें - 7,40,90,000/-
- उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई
जानकारी/सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
धरमजयगढ़(छ.ग.)
4/9/2021


कलेक्टर,
रायगढ़ (छ.ग.)